संख्या–544/9–आ–4–99–704एन/97

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 1999

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के संबंध मं जारी शासनादेश मं संशोधन किए जाने के सन्दर्भ में स्थानीय निकाय द्वारा फ्री–होल्ड विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–704एन/97, दिनांक 1.12.98 में नगर पंचायतों/नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/जिला पंचायतों आदि स्थानीय निकायों द्वारा नजूल भूमि अथवा उस पर अनाधिकृत रूप से निर्मित किए गये आवासीय/ व्यवसायिक भवनों को किराये/अस्थाई पट्टे पर उठाने गयें मामलों में फ्री–होल्ड हेतु आवेदन पत्र दिए जाने का प्रथम अधिकार स्थानीय निकाय को आवेदन–पत्र दिए जाने की तिथि को दिनांक–31.1.99 तक बढ़ दिया गया था। नजूल भूमि शासन के स्वत्व की भूमि है स्थानीय निकायको केवल इसके प्रबन्धन का उत्तरदायित्व सौंपा गया था और रात्य सरकार को इसके पुनर्ग्रहरण का अधिकार सुरक्षित है। स्थानीय निकायों पर यह प्रतिबन्ध था कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी नजूल भूमि पर अपने प्रयोजनार्थ निर्माण आदि नही करायेगे और यह भी व्यवस्था थी कि प्रीमियम की आधी धनराशि तथा वार्षिक किराये की एक चौथाई धनराशि शासन के खाते में जमा की जायेगी और शेष का उपभोग स्थानीय निकाय द्वारा इसके प्रबन्धन के निमित्त किया जायेगा।

उपर्युक्त के सन्दर्भ मं स्थानीय निकायों द्वारा किरायेदारी अथवा अस्थाई पट्टे पर दी गयी भूमि को फ्री–होल्ड में परिवर्तित किए जाने की वर्तमान व्यवस्था को सम्यक रूप में विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभात से संशोधित कर निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

(1) जहां पर स्थानीय निकायों ने शासन से अनुमति लेकर नजूल भूमि अपने उपयोग में ली, वहां पर स्थानीय निकायों को यह अनुरोध स्वीकार किया जाता है कि सम्पत्ति को फ्री–होल्ड न किया जाय क्योकि स्थानीय ने उनका उपयोग प्राधिकृत रूप में किया है।

2. यदि स्थानीय निकाय द्वारा अपने उपय्रोग के लिए जैसे कार्यालय, स्टोर आदि तथा अधिकारी/कर्मचारियों के आवास हेतु नजूल भूमि का उपयोग किया गया है, उसको किरायेदार के पक्ष में फ्री–होल्ड न किया जाय। यदि स्थानीय निकाय चाहे तो उसके पक्ष में फ्री–होल्ड किया जा सकता है।

(3) नजूल भूमि पर बनाई गयी सम्पत्ति, आमदनी के उपार्जन हेतु प्रीमियम लेकर स्थानीय निकाय द्वारा अन्य को किराये पर शासन की अनुमति के बिना अनाधिकृत रूप से दी गयी है और उसका प्रीमियम भी नजूल भूमि नियमों केअनुसार शासन के खाते में जमा नहीं किया गया हो अर्थात स्थानीय निकाय द्वारा नजूल भूमि का अनाधिकृत रूप से व्यवसायिक दृष्टि से प्रयोग किया गया और नियमानुसार शासन को निर्धारित राशि भी नहीं दी गयी, और मामलों में यदि स्थानीय निकाय फ्री–होल्ड नही कराना चाहती है, तो किरायेदारों द्वारा आवेदन करने पर उनके पक्ष में फ्री–होल्ड करने के पहले सम्बन्धित स्थानीय निकाय का अभिमत एक निश्चित अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय और ऐसे सभी प्रकरणों का जिलाधिकारी द्वारा शासन की स्वीकृति/निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जाय और शासन से निर्णय हो के उपरान्त उन प्रकरणों में फ्री–होल्ड की कार्यवाही की जाय।

इस सन्दर्भ में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि स्थानयी निकायों द्वारा जिस नजूल भूमि को अपने पक्ष में फ्री–होल्ड कराया जाता है तो उन मामलों में यदि स्थानीय निकाय द्वारा किश्तों का विकल्प चुना जाता है तो उन्हें सामान्य पट्टेदारों के पक्ष में निर्धारित किश्तों की तुलना में डेढ़ गुनी संख्या की किश्तें प्रदान किया जाय अर्थात यदि किसी मामले में सामान्य पट्टेदार को यह सुविधा 10 किश्तों में दी गयी है तो स्थानीय निकाय को यह सुविधा 15 किश्तों में प्राप्त होगी। किश्तों की अवधि यथा–तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक वही रहेगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–544(1)/9–आ–4–99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
(2). वित्त (व्यय नियन्त्रक) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
(3). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनु सचिव